In The Court of Deputy Commissioner, Lohardaga

RCMS DAOFF24079305

M/s PSG Minerals proprietor
Ritesh Prasad H.No. 102 New
AG Co-Operative Colony
Kadru, Ranchi
VRS
The State of Jharkhand
Mining Office, Lohardaga

ORDER SHEET

(See Rule 129 of the Record Manual 1941)

Order Sheet dated from ……………………………. To………………………

Misc Appeal Case No 10/2023-24

Nature of the Case- U/s 14 The Jharkhand Minaral) Prevention of illegal Mining, Transportation and stroge) Rule 2017

Serial Number and date of order	Order and Signature of Officer	Note of action taken on order with date
1	2	3
20/05/25	**Order** यह विविध अपील वाद सं0 10/2023–24 मे0 पी0एस0जी0 मिनरल्स प्रो0 रितेश प्रसाद, मकान सं0 102 न्यू ए0जी0 को–ओपरेटीव कॉलोनी, कडरू रांची ने जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 984/एम0 दिनांक 02.08.23 के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। PSG Minerals Occupier रितेश प्रसाद के पक्ष में लोहरदगा जिला के मौजा ओयना के खाता नं0 08 प्लॉट सं0 661, 662 कुल रकबा 79.45 डी0 भूमि पर बॉक्साईट खनिज विक्रेता निबंधन सं0 J051619316 दिनांक 24.08.2021 स्वीकृत है। जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने आदेश ज्ञापांक 984 दिनांक 02.06.23 द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevenstion of illegal mining, Transportation and storage) Rule 2017 के नियम 9 के उल्लंघन के आरोप में स्वीकृत खनिज विक्रेता निबंधन सं0 J051619316 दिनांक 24.08.2021 को निलंबित किया गया है। अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया। जिला खनन पदाधिकारी से अपना पक्ष रखने का कहा गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सरकारी वकील को सुना। वाद का सरांश है कि दिनांक 23.07.23 को लोहरदगा कुडू पथ पर खनिज ढो रहे वाहनों की जांच अभियान के दौरान हिरही मोड़ के पास ट्रक संख्या JH07C-8818 को रोकवा कर चालक से पुछताछ की गयी। चालक द्वारा बतलाया गया कि ट्रक में बॉक्साईट लदा है जिसे PSG Minerals के ओयना अवस्थित डिपो	

लोड करवाया है। चालक द्वारा PSG Minerals से संबंधित परिवहन चालान एवं Invoice तथा जियोमैक्स बे–ब्रिज का पर्ची दिखलाया गया। जिसका नं0 F72302002/4 दिनांक 23.07.23, 168/2023–24 दिनांक 23.07.23 एवं 124 दिनांक 23.07.23 है, जिसका बॉक्साईट का वनज 36.800 MT अंकित था। JIMMS Portal पर जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 23.07.23 को वाहन सं0 JH07C-8818 के लिए कोई परिवहन चालान निर्गत नहीं हुआ है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के ज्ञापांक 953/एम0 दिनांक 24.07.23 द्वारा PSG Minerals Occupier Ritesh Prasad को कारण पूछा नोटिस निर्गत किया गया।

श्री रितेश प्रसाद PSG Minerals के पत्रांक PSG/LDG/01 दिनांक 26.07.23 को जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के कारण पृच्छा नोटिस का जबाब दिया गया तथा बतलाया गया कि इस घटना की उन्हें कोई जानकारी नहीं तथा उन्हें जैसे संज्ञान में आया तत्काल प्रभाव से फनीन्दर तिवारी एवं नीरज जैन, कर्मी को हटाने की बात बतलाया एवं किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया।

जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा ने उनके जबाब स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद मानते हुए अपने ज्ञापांक 984/एम0 दिनांक 02.08.23 द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal mining, transportation and storage) Rule 2017 के नियम का उल्लंघन मानते हुए अपीलकर्त्ता रितेश प्रसाद के पक्ष में स्वीकृत खनिज विक्रेता निबंधन सं0 J051619316 दिनांक 24.08.2021 को तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया तथा खनिज के भण्डारण/प्रेषण का कार्य बन्द करने का आदेश दिया गया और तब से बन्द है। साथ ही इस जालसाजी के लिए लोहरदगा थाना काण्ड सं0 215/23 दिनांक 24.07.23 धारा 411/406/420/467/468/34 भा0द0वि0 एवं धारा 54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियम 2004 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी जो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा के न्यायालय में GR Case No. 336/2024 पंजीकृत हुआ। इस वाद में वादी जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा तथा अभियुक्तगण 1. फनी तिवारी उर्फ फनीन्द्र तिवारी पे0 धिरेन्द्र नाथ तिवारी, 2. नीरज कुमार जैन, पे0 स्व0 आशाराम जैन दोनों PSG Minerals के कर्मी, 3. मनोरंजन खाखा, पे0 कुंवर खाखा, चालक, 4. निकेतन कुमार, पे0 रवि साहु, ट्रांसपोर्टर सह वाहन मालिक, 5. पी0एस0जी0 मिनरल्स के मालिक रितेश प्रसाद पे0 सोमा प्रसाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी।

केस के अनुसंधानकर्त्ता गण 1. सावित्री कश्यप, पु0अ0नि0, लोहरदगा थाना एवं सुमन मिंज, 2. पु0अ0नि0, लोहरदगा द्वारा अनुसंधान पूर्ण करते हुए आरोप पत्र संख्या 104/24 दिनांक 16.08.24 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा, व्यवहार न्यायालय के न्यायालय में दाखिल किया गया।

अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त सं0 1 से 4 के विरूद्ध साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया तथा प्राथमिकी अभियुक्त रितेश प्रसाद, पिता सोमा प्रसाद, पता House No. 102, New AG 3- Co-Operative Coloney Near Shiv Mandir कडरू रांची के विरूद्ध साक्ष्य की कमी दिखाते हुए अन्तिम प्रपत्र (Final Report) दाखिल किया गया।

इस Final report के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

लोहरदगा व्यवहार न्यायालय में दिनांक 31.08.24 को अपीलकर्त्ता रितेश प्रसाद को यह कहते हुए कि "It also transpires from the perusal of case dairy that there is no sufficient materials available on case diary for taking cognizance against accused person namely, Ritesh Prasad. Hence accused person namely Ritesh Prasad is hereby discharge from his case.

इसी बीच अपीलकर्त्ता रितेश प्रसाद ने इस न्यायालय में The Jharkhand Minerals (Preventation of illigal mining, Transportation and storage) Rule 2017 की धारा 14(1) के प्रावधान के तहत उपायुक्त न्यायालय में जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के द्वारा पारित आदेश को चुनौति देते हुए अपील दायर किया। अपील तय सीमा के अन्दर दायर किया गया तथा वांछित राशि चालान सं0 GRN 2318951152 दिनांक 29.08.23 द्वारा मो0 1000.00 (एक हजार) रूपये 14(ii) के प्रावधानों के तहत जमा किया है। अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को सुनवाई की गयी तथा जिला खनन पदाधिकारी की ओर से सरकारी वकील को सुना। साथ ही सरकारी वकील से विधिक राय जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 355 दिनांक 25.04.25 को प्राप्त हुआ जो अभिलेख में संलग्न है।

जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 355 दिनांक 25.04.25 द्वारा सरकारी वकील के कानूनी राय पर किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया है। अपीलकर्त्ता का लिखित अभिकथन/मेमो ऑफ अपील में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया हे कि PSG Minerals को डीलर रजिस्ट्रेशन नं0 J051619316 दिनांक 24.08.21 निर्गत है। इसके साथ Propeitor Link M/s Maheshwari Dharam Kanta JIMMS Portal में है। जप्ति सूची दिनांक 23.07.23 चालान स्लिप नं0 124 दिनांक 23.07.23 Geomax Weight Bridge का दर्शाया गया है, यह फर्जी बाड़ा उनके स्टाफ जिसे संज्ञान में आते ही काम से हटाने का उल्लेख करते है 1. फनीन्द्र कुमार तिवारी एवं निरज कुमार जैन द्वारा अंजाम दिया गया जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है।

आगे कहते है कि किसी पर प्राथमिकी दर्ज होने मात्र से डीलर अनुज्ञप्ति रद्द/निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबतक कि मामले में Conviction न हो जाय। इस मामले में इस शर्त्त को पूरा नहीं करता है।

मई 2023 में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा उनके भण्डार का भौतिक सत्यापन किया था एवं उनके द्वारा संतुष्ट प्रदर्शित किय गया। अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल पूरक अभिकथन में कहा गया कि माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लोहरदगा ने उन्हें अपने आदेश दिनांक 31.08.24 द्वारा आरोप से Discharge कर दिया है।

अतः जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के द्वारा दिनांक 02.08.23 को पारित आदेश को खारिज करते हुए डीलर लाईसेंस सं0 J051619316 को पूर्ण बहाल करने का अनुरोध किया है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से निम्न तथ्य प्रकाश में आते है। अपीलकर्त्ता रितेश प्रसाद ने वैद्य डीलर रजिस्ट्रेशन एवं सभी वांछित कागजात प्राप्त करने के पश्चात बॉक्साईट भण्डारण एवं संप्रेषण का कार्य प्रारंभ किया था। कार्य के देखरेख हेतु

उनके द्वारा. स्टाफ के रूप में तिवारी एवं जैन को डिपो पर नियुक्त किया गया था। दिनांक 23.07.23 को ट्रक सं0 JH07C-8818 के चालक द्वारा समर्पित/दशार्या गया परिवहन चालान इसी वाहन के लिए दिनांक 17.07.23 को निर्गत था जिसे उनके स्टाफ के द्वारा फर्जी तरीके से दिनांक 23.07.23 को दर्शाते हुए परिचालन कराने की पुष्टि होता है साथ ही माप तौल का पर्ची जीओ मैक्स का वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत किया गया जबकि PSG Minerals का करार पोर्टल पर महेश्वरी धर्मकांटा के साथ Linked JIMMS Portal में है।

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता को डिसचार्ज करने का निर्णय लिया गया है।

जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा डीलर रजिस्ट्रेशन सं0 J051619316 को निलंबन मुक्त करने संबंधित सरकारी अधिवक्ता के मन्तव्य पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है।

निष्कर्ष

अतः अपीलकर्त्ता PSG Minerals प्रो0 रितेश प्रसाद के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।. जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा के आदेश ज्ञापांक 984/एम0 दिनांक 02.08.24 जिसके द्वारा The Jharkhand Minerals (Preventation of illigal mining, Transportation and storage) Rule 2017 के उल्लंघन के लिए अपीलकर्त्ता के नाम स्वीकृत खनिज विक्रेता निबंधन सं0 J051619316 दिनांक 24.08.21 को निलंबन आदेश को रद्द किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, लोहरदगा नियमानुसार कार्रवाई हेतु आदेश की प्रति भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

उपायुक्त, लोहरदगा।

उपायुक्त, लोहरदगा।

Digitally signed by KUMAR TARACHAND
Date: 2025.07.12 12:13:35 +05:30
Location: 192.168.29.3